



65

न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक-

/2012-13 निगरानी — R . 2618-I/13

बनेसिंह पिता घीसाजी, जाति भीलाला, निवासी-
ग्राम अरलावदा, तहसील हाटपीपल्या, जिला
देवास म.प्र.

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
- 2- श्रीमती लीलाबाई पति मांगीलाल,
- 3- रामेश्वर पिता राजाराम कुल्मी, दोनो
निवासी- ग्राम अरलावदा, तहसील
हाटपीपल्या, जिला देवास म.प्र.

..... अनावेदक

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर जिला देवास के द्वारा प्रकरण
क्रमांक 12-अ-21/12-13 में पारित आदेश दिनांक
15.04.2013 से असंतुष्ट एवं दुःखित होकर निगरानी आवेदन
पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत
है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी आवेदक की ओर से निगरानी मेमो निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, प्रार्थी आवेदक ने श्रीमान कलेक्टर महोदय के यह इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि, प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक कृष खाता ग्राम अरलावदा प.ह.नं. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त- एक हाटपीपल्या, तह. हाटपीपल्या जिला देवास में खाता क्रमांक- 487/ 10-11 का कुल सर्वे नं. 4 कुल रकबा 5.240 हे. लगान 38 रूपये का राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम पर अंकित है, जिसे विक्रय करने का अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है।

2- यह कि, प्रार्थी पर बैंक ऑफ इण्डिया हाटपीपल्या का ऋण 3,00,000/-

रुपये और किसी ब्याज 2,00,000/- रुपये जोका ब्याज 1,00,000/- रुपये अर्थात्

Handwritten notes:
Case no. 324
Sub- 11-6-13
[Signature]

Handwritten note:
24-6-13


Handwritten signature:
[Signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2618-एक/13

जिला - देवास

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 10/11/19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |